राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः स. 3 (2) (1) स्था/अ.अ.अधि/अभि/नियु/13/पार्ट–1 दिनांक 16.05.2017

166-229

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ0 7 (9) भर्ती/गोपनीय/2009–10/579 दिनांक 27.03.2017 द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी 2011 की संशोधित चयन सूची के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर 10 अभ्यार्थियों को नियुक्ति दिये जाने हेतु अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित किये गये हैं।

उप महानिरीक्षक (सीआईडी) राजस्थान, जयपुर से चयनित अभ्यार्थियों के बारे में उनका चरित्र सत्यापन सम्बन्धी रिपोर्ट संतोषजनक प्राप्त होने पर, निम्नांकित अभ्यार्थियों को राजस्थान सेवा नियम 1978 के नियम 22 के अन्तर्गत वित विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.08.2006 के अनुक्रम में 02 वर्ष के लिए नियत पारिश्रमिक रूपये 14660/– पर अस्थाई रूप से उनके नाम के आगे अंकित न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर, सम्बन्धित जिला के सहायक निदेशक अभियोजन के अधीन उनके उपस्थित होने की तिथि से अस्थाई नियुक्ति दी जाती है।

नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारीगण उपस्थिति दिनांक से 10 दिवस तक संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन के अधीन व्यावहारिक प्रशिक्षणाधीन रहेंगे। देय नियत पारिश्रमिक में से जीपीएफ एवं राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी तथा इन्हें किसी प्रकार का भत्ता यथा विशेष वेतन, महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, ऐडहोक बोनस आदि देय नहीं होगा। परीविक्षाधीन कालावधि में कार्य ग्रहणकाल एवं कार्यग्रहण करने के लिये यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कार्यग्रहण करने के पश्चात् राजकीय कार्य के लिए की गयी यात्रा हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण होने पर मील भत्ता तथा आनुषांगिक प्रभार नियत पारिश्रमिक के आधार पर देय होगा। परीविक्षाधीन कालावधि में 12 आकस्मिक अवकाश देय होगा। यदि एक कलेण्डर वर्ष से कम सेवा की अवधि हो तो उसी अनुपात में आकस्मिक अवकाश की गणना की जायेगी।

इन सहायक अभियोजन अधिकारी को दो वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार सहायक अभियोजन अधिकारी की वेतन श्रृंखला पे बैण्ड (02) 9300–34800 ग्रेड पे (12) 4200/– देय होगी। नये भर्ती नियमों के अनुसार इनको अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

क्र.सं	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी मय पता	वर्ग	जन्म तिथि	पदस्थापन न्यायालय का नाम
1.	77	श्री विजयानन्द थलिया पुत्र श्री गजानन्द निवासी सेकसरिया हवेली के पास, बाबारामदेव रोड, नवलगढ जिला झुन्झुनु	सामान्य	26.01.1982	एसीजे (जेडी) जेएम 1 सीकर
2.	78	श्री मनमीत सिंह पुत्र श्री गुरूदेव सिंह, 586, रानीसती नगर, निर्माण नगर (जनपथ लेन–5) जयपुर	सामान्य	09.06.1982	स्पेशल कोर्ट न्याया. एमएम (एनआईएक्ट) 8 जयपुर प्रथम
3.	110	श्री खुशाल दैया पुत्र श्री गोपाल दास दैया 3–ई–175, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर–334003	बीसी	27.04.1981	लीव रिजर्व, सीकर
4.	116	श्री भारत अजमेरा पुत्र श्री नारायण लाल सैनी, 106, प्रिन्टर्स कॉलोनी, सीताबाडी टोंक रोड़, जयपुर 302029	पिछड़ा वर्ग	22.11.1979	सीजे (जेडी) जेएम, ब्यावर, जिला अजमेर

5.	121	श्रीमति कमलेश चौधरी पुत्री श्री भेरुराम, राजकीय बालिका सीनियर सैकेन्डरी स्कूल के पास, डेगाना, नागौर–341503	बी सी एम	30.08.1982	विशिष्ट न्यायालय एमएम एनआईएक्ट 2 जोधपुर
6.	144	श्री ललित किशोर खींचा पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद खींचा, निवासी म0नं0 114, एन बी काम्प्लेक्स, प्रतापनगर थाने के पास, उदयपुर	एससी	08.10.1979	सीजे (जेडी) जेएम, आमेट जिला राजसमन्द

उपरोक्त सभी अभ्यार्थीगण आदेश की तिथि से 7 दिन के अन्दर आवश्यक रूप से उनके नाम के सामने सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में उपस्थिति देंगे। उपस्थिति के समय मेडिकल ज्यूरिष्ट/सीएम एण्ड एच ओ से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपस्थिति मान्य होगी। अभ्यर्थीगण नियुक्ति के समय सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि उनके सम्बन्ध में प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के पश्चात् पदग्रहण करने की तिथि तक उनके विरूद्व कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उपरोक्त नवनियुक्त अभ्याथीगण की सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति माननीय न्यायालयों में लम्बित रिट याचिकाओं के पारित निर्णय के अध्ययधीन रहेगी।

आज्ञा से,
16/5/17
(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (ग्रुप–10) विभाग।
8. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान, मुख्यालय सहित।
9. सम्बन्धित नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी, (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
10. निजी पत्रावली / समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय।
11. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर